

8552

Non Judicial



Indian-Non Judicial Stamp Haryana Government



Date : 11/01/2022

Certificate No. EAK2022A60

Stamp Duty Paid : ₹ 476000
(Rs. Only)

GRN No. 86193440



Penalty : ₹ 0

(Rs. Zero Only)

Seller / First Party Detail

Name: Rajbir
H.No/Floor : Xx Sector/Ward : Xx LandMark : Badoli
City/Village : Faridabad District : Faridabad State : Haryana
Phone: 98*****57 Others : Dinesh and mahesh



Buyer / Second Party Detail

Name : S three Infrareality Pvt Ltd
H.No/Floor : 93 Sector/Ward : Xx LandMark : Hari nagar
City/Village: Ashram District : Delhi State : Delhi
Phone : 98*****57

Purpose : COLLABORATION AGREEMENT



d by scanning this QrCode Through smart phone or on the website



कोलोब्रेशन एग्रीमेन्ट

स्टाम्प सर्टिफिकेट रकम:-

मु. 4,76,000/-रूपये

स्टाम्प सर्टिफिकेट नं.:-

EAK2022A60

सर्टिफिकेट जी.आर.एन. नं.:-

86193440

सर्टिफिकेट दिनांक:-

11.01.2022

रसीद जी.आर.एन. नं.:-

0086194106

कलेक्टर रेट मु0 1,60,00,000/-रूपये प्रति एकड ।

यह कोलोब्रेशन एग्रीमेन्ट दिनांक 11.01.2022., तहसील फरीदाबाद में निम्नलिखित पक्षों के बीच निष्पादित व पंजीकृत हुआ।

For S3 INFREALITY PVT. LTD.

Auth Signatory

प्रलेख नः8552

दिनांक:11-01-2022

डीड संबंधी विवरण

डीड का नाम COLLABORATION
AGREEMENT

तहसील/सब-तहसील फरीदाबाद

गांव/शहर भतोला

धन संबंधी विवरण

राशि 23800000 रुपये

स्टाम्प ड्यूटी की राशि 476000 रुपये

स्टाम्प नं : eak2022a60

स्टाम्प की राशि 476000 रुपये

रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 50000
रुपये

EChallan:86194106

पेस्टिंग शुल्क 0 रुपये

Drafted By: self

Service Charge:0

यह प्रलेख आज दिनांक 11-01-2022 दिन मंगलवार समय 5:13:00 PM बजे श्री/श्रीमती /कुमारी

Rajbir etc पुत्र Dungar निवास village baroli द्वारा पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया ।



21/01/22


हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
Rajbir etc

उप/सयुक्त पंजीयन अधिकारी (फरीदाबाद)

उपरोक्त पेशकर्ता व श्री/श्रीमती /कुमारी ms S3 Infrareality pvt ltd के पुत्र Tarun sharma हाजिर है । प्रतुत प्रलेख के तथ्यों को दोनों पक्षों

ने सुनकर तथा समझकर स्वीकार किया दोनों पक्षों की पहचान श्री/श्रीमती /कुमारी vinay rawat पिता adv निवासी fbd व श्री/श्रीमती /कुमारी Ankur Aggarwal पिता satish kumar Aggarwal निवासी fbd ने की ।

साक्षी नं:1 को हम नम्बरदार /अधिवक्ता के रूप में जानते हैं तथा वह साक्षी नं:2 की पहचान करता है ।



उप/सयुक्त पंजीयन अधिकारी(फरीदाबाद)

दिनांक 11-01-2022

Kr. Vinay Rawat
Advocate
Distt. & Session Court, Faridabad

हमके राजबीर (आधार नं. 2204 7827 9664) पुत्र श्री डूंगर, निवासी ग्रॉम बडौली, तह0 व जिला फरीदाबाद हरियाणा का रकबा 7 कनाल 02 मरले, यानि 0.8875 एकड भूमि व दिनेश (आधार नं0 8874 9484 3880, Pan No. AQOPC3262A) व महेश (आधार नं0 9761 1086 8683, Pan No. CHYPM2379B) पुत्रान सुका पुत्र डूंगर रकबा 4 कनाल 16 मरला यानि 0.6 एकड भूमि समभाग, निवासी गॉव बडौली, तहसील व जिला फरीदाबाद हरियाणा (जिन्हे बाद मे भूमि मालिकान कहा गया है) जोकि इस कोलोब्रेशन एग्रीमेन्ट में जहाँ कही भूमि मालिकान शब्द का प्रयोग किया गया है वहाँ भूमि मालिकानान खुद व उसके कानूनी उत्तराधिकारी प्रतिनिधि एवं हस्तान्तरीगण शामिल है

....प्रथम पक्ष

व

M/s S3 Infreality Pvt. Ltd.(U70200DL2013PTC257391), जो भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत रजिस्टर्डशुदा है बजरियें अधिकृत हस्ताक्षरी श्री तरुण शर्मा पुत्र श्री प्रभु दयाल शर्मा (आधार नं0 9460 9968 5780) (जिसे बाद मे डवलपर कम्पनी कहा गया है) जोकि इस कोलोब्रेशन एग्रीमेन्ट में जहाँ कही भी डवलपर कम्पनी शब्द का प्रयोग किया गया है वहाँ डवलपर कम्पनी खुद व उसके कानूनी उत्तराधिकारी प्रतिनिधि एवं हस्तान्तरीगण शामिल है।

.....द्वितीय पक्ष

यह कि प्रथम पक्ष न0 1- राजबीर पुत्र डूंगर वाका मौजा भतौला तहसील व जिला फरीदाबाद में स्थित भूमि खेवट नं0 444/478, खतौनी नं0 537 मु0 नं0 48 कीला नं0 25/2(4-17), मु0 नं0 49, कीला नं0 1/2(0-16), 2/2(2-11), 3/1(4-0), 11/2(6-0), 18/1/2(1-0), 20(8-0), 21(8-0), मु0 नं0 51, कीला नं0 1(8-0), 3/1(4-0), 10(7-15), 11(1-6), मु0 नं0 52, कीला नं0 5(7-19), 6(3-9), किता 14, कुल रकबा 67 कनाल 13 मरला में से में से 1/8 भाग कुल बाकदर रकबा 8 कनाल 9 मराला, खेवट नं0 444/1, मु0 नं0 49, कीला नं0 9(7-13), 10/1(7-0), 12(6-8), 13/1(4-0) किता 4, कुल रकबा 25 कनाल 1 मरला में से 1/8 भाग कुल बाकदर रकबा 3 कनाल 3 मराला, खेवट नं0 445/479, खतौनी नं0 538, मु0 नं0 49, कीला नं0 8/2/2(4-0), किता 1 रकबा कुल रकबा में से 1/8 भाग कुल बाकदर रकबा 10 मराला, खेवट नं0 446/479, खतौनी नं0 539, मु0 नं0 49, कीला नं0 23/1(4-0), किता 1 कुल रकबा 4 कनाल 0 मरला में से 1/8 भाग कुल बाकदर रकबा 10 मराला, खेवट नं0 447/480, खतौनी नं0 540, मु0 नं0 49, कीला नं0 1/1(7-4), किता 1 कुल रकबा 7 कनाल 4 मरला, में से 7/72 भाग कुल बाकदर रकबा 14 मराल यह कि इस प्रकार कुल रकबा 107 कनाल 18 मरले में से 13 कनाल 06 मरले के बरुवे साल जमाबंदी 2018-2019 व फर्दबदर नं0 9, 10 व 11, 53 की रूह से मालिक व काबिज हूँ इस प्रकार कुल रकबा 13 कनाल 06 मरले 1.6625 एकड का बरुवे साल जमाबंदी 2018-2019 की रूह से मालिक व काबिज हूँ जिसमें से रकबा 7 कनाल 2 मरला यानि 0.8875 एकड भूमि को इस कोलोब्रेशन एग्रीमेन्ट में शामिल किया गया है। (जिसे आगे उक्त भूमि कहा गया है)

For S3 INFREALITY PVT. LTD.

2

Auth. Signatory

यह कि प्रथम पक्ष न० 2- दिनेश व महेश पुत्रान सुका पुत्र डूंगर, वाका मौजा भतौला तहसील व जिला फरीदाबाद में स्थित भूमि खेवट नं० 444/478, खतौनी नं० 537 मु० नं० 48 कीला नं० 25/2(4-17), मु० नं० 49, कीला नं० 1/2(0-16), 2/2(2-11), 3/1(4-0), 11/2(6-0), 18/1/2(1-0), 20(8-0), 21(8-0), मु० नं० 51, कीला नं० 1(8-0), 3/1(4-0), 10(7-15), 11(1-6), मु० नं० 52, कीला नं० 5(7-19), 6(3-9), किता 14, कुल रकबा 67 कनाल 13 मरला में से में से 1/8 भाग कुल बाकदर रकबा 8 कनाल 9 मराला, खेवट नं० 444/1, मु० नं० 49, कीला नं० 9(7-13), 10/1(7-0), 12(6-8), 13/1(4-0) किता 4, कुल रकबा 25 कनाल 1 मरला में से 1/8 भाग कुल बाकदर रकबा 3 कनाल 3 मराला, खेवट नं० 445/479, खतौनी नं० 538, मु० नं० 49, कीला नं० 8/2/2(4-0), किता 1 रकबा कुल रकबा में से 1/8 भाग कुल बाकदर रकबा 10 मरला, खेवट नं० 446/479, खतौनी नं० 539, मु० नं० 49, कीला नं० 23/1(4-0), किता 1 कुल रकबा 4 कनाल 0 मरला में से 1/8 भाग कुल बाकदर रकबा 10 मरला, खेवट नं० 447/480, खतौनी नं० 540, मु० नं० 49, कीला नं० 1/1(7-4), किता 1 कुल रकबा 7 कनाल 4 मरला, में से 7/72 भाग कुल बाकदर रकबा 14 मरला यह कि इस प्रकार कुल रकबा 107 कनाल 18 मरले में से 13 कनाल 06 मरले के बरुवे साल जमाबंदी 2018-2019 व फर्दबदर नं० 9, 10 व 11, 53 की रूह से मालिक व काबिज हूँ इस प्रकार कुल रकबा 13 कनाल 06 मरले 1.6625 एकड का बरुवे साल जमाबंदी 2018-2019 की रूह से मालिक व काबिज है। जिसमें से रकबा 4 कनाल 16 मरला यानि 0.6 एकड भूमि को इस कोलोब्रेशन एग्रीमेन्ट में शामिल किया गया है। (जिसे आगे उक्त भूमि कहा गया है) इस प्रकार प्रथम पक्ष 1 व 2 नम्बर कुल रकबा 11 कनाल 18 मरले, का कोलोब्रेशन एग्रीमेन्ट कर रहे हैं। यह कि भूमि मालिकान अपने हिस्सेनुसार उक्त भूमि के पूर्ण रूप से मालिकान व काबिज है भूमि मालिकान को उक्त भूमि को विकसित करने व डवलपर कम्पनी के साथ कोलोब्रेशन एग्रीमेन्ट/इकरारनामा करने का पूरा - पूरा हक हासिल है। यह कि भूमि मालिकान को यह कोलोब्रेशन एग्रीमेन्ट स्वयं करने का हक है।

यह हैं कि भूमि मालिकान संयुक्त व व्यक्तिगत तौर पर डवलपर कम्पनी को यह विश्वास दिलाते हैं कि उक्त सम्पूर्ण भूमि सभी प्रकार से जैसे व्यादेश, शुल्क, दान, कर्जा, रहन, भार, कुर्की दायित्व किरायेदारी, अनाधिकृत, कब्जा, दावे, वाद-विवाद आदि से मुक्त है अर्थात उक्त भूमि पूरी तरह से पाक व साफ है। यह कि भूमि मालिकान को उक्त भूमि की बाबत किसी भी विभाग से कोई सूचना या नोटिस नहीं मिला है और ना ही भूमि मालिकान ने उक्त भूमि की बाबत किसी भी प्रकार का कोई अनुबन्ध/इकरारनामा किसी भी व्यक्ति/कम्पनी/फर्म से किया है तथा भूमि मालिकान यह भी वचन देते हैं कि इस कोलोब्रेशन एग्रीमेन्ट के तहत व इसकी शर्तों के अनुसार उक्त भूमि को प्रस्तावित प्रोजेक्ट के दौरान या इसके बाद पूर्ण होने तक और उसके बाद भी हर प्रकार के भार से पाक-साफ व बिक्री की सूरत में रखेंगे।

For S3 INFRA REALITY PVT. LTD.

Auth. Signatory

3

21/10/11

यह कि भूमि मालिकान उक्त भूमि पर हरियाणा सरकार द्वारा घोषित पॉलोसी के अर्न्तगत Commercial Plotted Colony/ व्यवसायिक कम्पलेक्स / व्यवसायिक बिल्डअप कालोनी बनाने का प्रोजेक्ट विकसित करना चाहती हैं या इसके अलावा आवश्यकतानुसार उक्त भूमि पर किसी अन्य स्कीम के अर्न्तगत एक व्यवसायिक प्लाटेड कालोनी/ रिहायशी भवन/व्यवसायिक कम्पलेक्स आदि के अर्न्तगत एक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं जबकि उनको उक्त भूमि को विकसित किये जाने बारे में कोई भी अनुभव ना है इस लिहाज से भूमि मालिकान ने डवलपर कम्पनी को यह पेशकश की है जैसा कि भूमि मालिकान जानते है कि डवलपर कम्पनी इस व्यवसाय में पूर्णतः अनुभव रखती है और इस क्षेत्र में जानी-मानी कम्पनी है और सभी किस्म की जरूरतें उसके पास उपलब्ध हैं। (जिसे आगे प्रस्तावित प्रोजेक्ट कहा गया है)

अतः दोनो फरीकान के बीच यह कोलोब्रेशन एग्रीमेन्ट निम्नलिखित शर्तों के तहत करार पाया है:-

1. यह कि भूमि मालिकान ने अपने अपने हिस्सेनुसार या कोलोब्रेशन एग्रीमेन्ट उक्त भूमि मे सें 7199.5 वर्ग गज यानि 1.4875 एकड को खास तौर पर हरियाणा सरकार द्वारा घोषित पॉलोसी के अर्न्तगत Commercial Plotted Colony/ रिहायशी भवन बनाने का प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए निष्पादित किया हैं या इसके अलावा आवश्यकतानुसार उक्त भूमि पर किसी अन्य स्कीम के अर्न्तगत एक व्यवसायिक प्लाटेड कालोनी/ रिहायशी भवन/व्यवसायिक कम्पलेक्स आदि के अर्न्तगत एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए निष्पादित व पजीकृत कर रहे हैं। अर्थात् डवलपर कम्पनी उक्त भूमि को इस कोलोब्रेशन एग्रीमेन्ट के तहत निर्धारित तरीके से सभी प्रकार के लाईसेंस/परमिशन इत्यादि प्राप्त करके विकसित करेगी और डवलपर कम्पनी प्रस्तावित प्रोजेक्ट में निम्नलिखित कार्य जैसे भवन निर्माण, सडक, सीवर, पानी, बिजली, आदि की व्यवस्था भी करेगी।

2. यह कि भूमि मालिकान ने उक्त भूमि का कब्जा डवलपर कम्पनी को दे दिया है और डवलपर कम्पनी की इस भूमि में Commercial Plotted Colony/ रिहायशी भवन /व्यवसायिक कम्पलेक्स/ व्यवसायिक प्लाटेड कालोनी/ आदि का प्रोजेक्ट इत्यादि के बाबत सम्बन्धित विभागों/राज्य सरकार से लाईसेंस परमीशन आदि की मन्जूरी लेकर विकसित करने की जिम्मेदारी कम्पनी की होगी। यह कि उक्त भूमि का पूर्ण रूप से विकास डवलपर कम्पनी द्वारा अपने खर्चे व अपने विवेक पर करना करार पाया है और भूमि मालिकान किसी भी किस्म का कोई खर्चा उक्त भूमि को विकसित करने के लिए नहीं करेगें।

3. यह कि उक्त भूमि के बाबत सम्बन्धित व उचित इजाजत/मन्जूरी जो डी0टी0सी0पी0 व अन्य सम्बन्धित विभागों से लेनी अनिवार्य है वह डवलपर कम्पनी उक्त भूमि की बाबत अपने खर्चों पर लेगी और इस काम के लिये भूमि मालिकान से जो भी सम्बन्धित प्लान/पेपर या अन्य दस्तावेज हलफनामा अण्डरटेकिंग इत्यादि की आवश्यकता होगी उन सब को भूमि मालिकान हस्ताक्षरित निष्पादित व पंजीकृत करने के लिए जिम्मेवार होंगे और इसके अलावा जो भी सहायता भूमि मालिकान से डवलपर कम्पनी को बाबत मन्जूरी व इजाजत जरूरत पडेगी वह सब भूमि मालिकान देने के पाबन्द रहेगें (रोड, बजली, पानी, सिवर, वन विभाग इत्यादी)। यह कि उक्त भूमि में लाईसेंस आदि लेने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी डवलपर कम्पनी की है और इसके लिए पूरा खर्चा जो भी लाईसेन्स परमिशन मन्जूरी व इजाजत लेने में

For S3 INFRA REALITY PVT. LTD.
Auth. Signatory

(डी0टी0सी0पी0) हरियाणा चण्डीगढ या अन्य किसी भी विभाग में लगेगा वह डवलपर कम्पनी वहन करेगी।

4. यह कि भूमि मालिकान इस कोलोब्रेशन एग्रीमेन्ट के अनुसार उक्त भूमि को विकसित करने के लिए सभी प्रकार के लाईसेन्स, परमिशन आदि प्राप्त करने के लिए उक्त भूमि में निर्माण आदि उसको विकसित करने के लिए और भविष्य में सम्पूर्ण विकसित एरिया का इस कोलोब्रेशन एग्रीमेन्ट में दी गई शर्तों के अनुसार अपने हिस्से अनुसार कम्पनी का 65 प्रतिशत हिस्से को बेचने आदि सभी कार्यों के लिए व सभी प्रकार के दस्तावेजों को हस्ताक्षर करने के लिए डवलपर कम्पनी को एक अखण्डनीय मुखतारनामा खास देंगे जोकि डवलपर कम्पनी के नोमिनी श्री सन्दीप अग्रवाल पुत्र श्री दया चन्द अग्रवाल निवासी ग्यान दालमील, बाईपास रोड, होडल (आधार नं0 5197 0370 1927, Pan No. AEHPA2846M), जिला पलवल, हरियाणा के हक में हस्ताक्षरित निष्पादित व पंजीकृत होगा जिसमें डवलपर कम्पनी के नोमिनी को यह हक होगा कि वह अपनी शक्तियों को हस्तान्तरित भी कर सकेगा।

5. यह कि उपरोक्त भूमि की बावत डवलपर कम्पनी भूमि मालिकान को कुल मु0 3,80,26,316/- रू0 (मु0 तीन करोड अस्सी लाख छब्बीस हजार तीन सौ सौलह रू0) देना तय पाया है जिसमें से डवलपर कम्पनी भूमि मालिकान को इस कोलोब्रेशन एग्रीमेन्ट की पूर्ति के लिए रूपये 69,68,750/- (मु0 उनहैत्तर लाख अडसठ हजार सात सौ पचास रूपये) देना तय पाया है जो बकाया राशि 3,10,57,566/- (मु0 तीन करोड दस लाख सत्तावन हजार पाँच सौ छियासठ रूपये) बनती है। जिसका भुगतान निम्न प्रकार छे

दिनांक	चैक नं.	चैक राशि	प्राप्तकर्ता
11.01.2022	006105	39,68,750/-	राजबीर
11.01.2022		15,00,000/-	दिनेश
11.01.2022		15,00,000/-	महेश
11.07.2022		93,59,610/-	राजबीर
11.01.2023		93,59,610/-	राजबीर
11.07.2022		30,84,586/-	महेश
11.07.2022		30,84,586/-	दिनेश
11.01.2023		30,84,587/-	महेश
11.01.2023		30,84,587/-	दिनेश

कुल राशि

3,80,26,316/-

उपरोक्त सभी चैक करर वैश्य बैंक, NIT फरीदाबाद, पर देय है और भूमि मालिकान उपरोक्त चैको को वसूल पाना स्वीकार करते हैं। (यह भुगतान नॉन रिफंडेबल है।)

1- यह कि डवलपर कम्पनी और भूमि मालिक (प्रथम पक्ष न0 1) के बीच यह तय हुआ है भूमि मालिक को इस कोलोब्रेशन एग्रीमेन्ट में तय हिस्से के अनुसार भूमि का 35 प्रतिशत एरिया जोकि 1503.425 वर्ग गज बनता है का Builtup Area 35% प्रथम पक्ष न0 1- राजबीर को दिया जायेगा जो कि 526.2 वर्गगज (With Maximum Permissible Area) बनता जिससे की

रि राजबीर

रि दिनेश

For S3 INFREAREALTY PVT. LTD.
Auth. Signatory

भविष्य में भूमि मालिक (प्रथम पक्ष न0 1) को इस कोलोब्रेशन एग्रीमेन्ट के तहत मिलने वाली 526.2 वर्गगज बिल्डअप एरिया मिल सकें यह इस कोलोब्रेशन एग्रीमेन्ट के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व प्रस्तावित प्रोजेक्ट को पूर्ण रूप से बिना किसी बाधा व अवरोध के सुचारु रूप से पूर्ण करने के लिए जरूरी व आवश्यक शर्त हैं इसमें भूमि मालिक या उसके वारसान को कोई उजर व एतराज करने का हक ना है और ना होगा। यदि भविष्य में उपरोक्त 35 प्रतिशत बिल्डअप एरिया में कोई बढोत्तरी सरकार द्वारा की जाती है तो भूमि मालिकान को उसी अनुसार बढा हुआ एरिया दिया जायेगा।

(क) यह कि डवलपर कम्पनी भूमि मालिक (प्रथम पक्ष न0 1) को उसके 35 प्रतिशत एरिया जोकि 1503.425 वर्गगज बनता है जिसका का 35 प्रतिशत **Builtup Area** (With Maximum Permissible Area) प्रथम पक्ष न0 1- राजबीर को दिया जायेगा जो कि 526.2 वर्ग गज बनता है उसे डवलपर कम्पनी बैसमैन्ट और चार फ्लोर व **Lift** के साथ नियमनुसार बनाकर **collaboration agreement** होने के दिन से चार साल में डवलपर कम्पनी अपने स्वयं के खर्च पर बना कर भूमि मालिक (प्रथम पक्ष न0 1) को दिया जावेगा व रिहायसी एरिया में से भी 35 प्रतिशत हिस्सा (With Maximum Permissible Area) (प्रथम पक्ष न0 1) को दिया जायेगा यदि कुछ रिहायसी भूमि उक्त रकबे में से निकलती/ बनती है तो।

(ख) यह है कि डवलपर कम्पनी जो बिल्डअप एरिया 35 प्रतिशत भूमि मालिक (प्रथम पक्ष न0 1) को तय अनुसार बना कर देगी (With Maximum Permissible Area) उसकी रजिस्ट्री व स्टाप पेपर का खर्चा डवलपर कम्पनी करेगी व डवलपर कम्पनी भूमि मालिक (प्रथम पक्ष न0 1) को 800 वर्गगज विकसित एरिया **Front** में देगा व बकाया 703.425 वर्गगज विकसित एरिया उसके पिछे देना तय किया है।

(ग) यह है कि डवलपर कम्पनी 35 प्रतिशत बिल्डअप एरिया भूमि जोकि 526.2 वर्गगज बनती है (With Maximum Permissible Area) मालिक (प्रथम पक्ष न0 1) को 4 साल में नही दे पाती है तो डवलपर कम्पनी भूमि मालिकान (प्रथम पक्ष न0 1) को आपसी सहमति से तय किया गया है कि डवलपर कम्पनी भूमि मालिक को 750000/- प्रति महिना किराये को देने के लिए पाबन्द रहगी।

(घ) यह है कि डवलपर कम्पनी भूमि मालिकान (प्रथम पक्ष न0 1) के हिस्से अनुसार 35 प्रतिशत एरिया जोकि 1503.425 वर्ग गज जिसका बिल्डअप एरिया जोकि 526.2

रजिस्ट्री



रजिस्ट्री

रजिस्ट्री



For S3 INFRAREALTY PVT. LTD.
Auth. Signatory

वर्ग गज (With Maximum Permissible Area) बनता है जिसको डवलपर कम्पनी बिल्टअप व अनबिल्टअप एरिये कि रजिस्ट्री भूमि मालिकान (प्रथम पक्ष न0 1) के नाम कर देगी व रजिस्ट्री का खर्चा डवलपर कम्पनी करेगी और उक्त रजिस्ट्र करने कि बाबत जो भी जरूरी कागजात भूमि मालिकान से हस्ताक्षर करानें कि जरूरत होगी वह करा लेगी और भूमि मालिकान उक्त रकबे का बयनामा उक्त जमीन कि डवलपमेन्ट होने के बाद में करेगें ।

(ड) यह है कि भूमि मालिक (प्रथम पक्ष न0 1) व डवलपर कम्पनी के मध्य यह तय हुआ है कि डवलपर कम्पनी को भूमि मालिक का 35 प्रतिशत बिल्टअप एरिया 526.2 वर्ग गज (With Maximum Permissible Area) बनने के बाद भूमि मालिक उक्त भूमि का बयनामा डवलपर कम्पनी या उसके नामित किसी अन्य कम्पनी या व्यक्ति के नाम करा लेगे तथा डवलपर कम्पनी भूमि मालिक के हिस्से अनुसार उसके जोकि 35 प्रतिशत बिल्टअप एरिया (526.2 वर्ग गज With Maximum Permissible Area) को भूमि मालिक (प्रथम पक्ष न0 1) के हक में बयनामा करा देगें ।

(च) यह है कि प्रोजेक्ट पुरा होने के बाद भूमि मालिकान का हक 35 प्रतिशत विकसित एरिया जिस पर कि डवलपर कम्पनी नियम अनुसार स्वमं के खर्चे पर SCO बनाकर (With Maximum Permissible Area) देगी व Completion Certificate लायेगी व कोलोब्रेशन मे लिखित मु0 1,87,19,220 रू0 लेने कि हक भूमि मालिकान को तय अनुसार लेने का होगा और डवलपर कम्पनी का हक 65 प्रतिशत विकसित एरिये पर होगा ।

2- यह कि डवलपर कम्पनी और भूमि मालिक (प्रथम पक्ष न0 2) के बीच यह तय हुआ है भूमि मालिक को इस कोलोब्रेशन एग्रीमेन्ट में तय हिस्से के अनुसार 35 प्रतिशत एरिया जोकि 1016.4 वर्ग गज बनता है का Builtup Area 35% प्रथम पक्ष न0 2- दिनेश व महेश को दिया जायेगा जो कि 355.74 वर्ग गज (With Maximum Permissible Area) पर एकड बनता जिससे की भविष्य में भूमि मालिकान (प्रथम पक्ष न0 2) को इस कोलोब्रेशन एग्रीमेन्ट के तहत मिलने वाली 355.74 वर्ग गज बिल्टअप एरिया मिल सकें यह इस कोलोब्रेशन एग्रीमेन्ट के उददेश्य को प्राप्त करने के लिए व प्रस्तावित प्रोजेक्ट को पूर्ण रूप से बिना किसी बाधा व अवरोध के सुचारु रूप से पूर्ण करने के लिए जरूरी व आवश्यक शर्त हैं इसमें भूमि मालिकान या उसके वारसान को कोई उजर व एतराज करने का हक ना है और ना होगा ।

(क) यह कि डवलपर कम्पनी भूमि मालिकान को उसके 35 प्रतिशत एरिया जोकि 1016.4 वर्गगज बनता है जिसका का 35 प्रतिशत Builtup Area (With Maximum Permissible Area) प्रथम पक्ष न0 2 को दिया जायेगा जो कि 355.74 वर्ग गज बनता है

For S3 INFRA REALITY PVT. LTD.
Auth. Signatory

रिजिस्ट्रार

अधीक्षक



उसे डवलपर कम्पनी बैसमैन्ट और चार फ्लौर व Lift के साथ नियमनुसार बनाकर collaboration agreement होने के दिन से चार साल में डवलपर कम्पनी अपने स्वयं के खर्च पर बना कर भूमि मालिकान (प्रथम पक्ष न0 2) को दिया जावेगा व रिहायसी एरिया में से भी 35 प्रतिशत हिस्सा (With Maximum Perimissible Area) दिया जायेगा यदि कुछ रिहायसि भूमि उक्त रकबे में से निकलती/ बनती है तो।

(ख) यह है कि डवलपर कम्पनी जो बिल्डअप एरिया 35 प्रतिशत भूमि मालिकान को तय अनुसार बना कर देगी (With Maximum Perimissible Area) उसकी रजिस्ट्री व स्टाप पेपर का खर्चा डवलपर कम्पनी करेगी व डवलपर कम्पनी भूमि मालिकान (प्रथम पक्ष न0 2) को 400 वर्ग गज विकसित एरिया Front में देगा व बकाया विकसित एरिया उसके पिछे वाली row में Corner व Corner से लगता हुआ देना तय किया है।

(ग) यह है कि डवलपर कम्पनी 35 प्रतिशत बिल्डअप एरिया भूमि जोकि 355.74 वर्ग गज (With Maximum Perimissible Area) बनता है को अगर किसी कारणवश डवलपर कम्पनी 35 प्रतिशत बिल्डअप एरिया (With Maximum Perimissible Area) भूमि मालिकान को 4 साल में नही दे पाती है तो डवलपर कम्पनी भूमि मालिकान (प्रथम पक्ष न0 2) को आपसी सहमति से तय किया गया है कि डवलपर कम्पनी भूमि मालिक को 500000/- प्रति महिना किराये को देने के लिए पाबन्द रहेगी।

(घ) यह है कि डवलपर कम्पनी भूमि मालिकान (प्रथम पक्ष न0 2) के हिस्से अनुसार 35 प्रतिशत एरिया जोकि 1016.4 वर्ग गज जिसका बिल्डअप एरिया जोकि 355.74 वर्ग गज (With Maximum Perimissible Area) बनता है जिसको डवलपर कम्पनी बिल्डअप व अनबिल्डअप एरिये कि रजिस्ट्री भूमि मालिकान (प्रथम पक्ष न0 2) के नाम कर देगी व रजिस्ट्री का खर्चा डवलपर कम्पनी करेगी और उक्त रजिस्ट्र करने कि बाबत जो भी जरुरी कागजात भूमि मालिकान (प्रथम पक्ष न0 2) से हस्ताक्षर कराने कि जरुरत होगी वह करा लेगी और भूमि मालिकान (प्रथम पक्ष न0 2) उक्त रकबे का बयनामा उक्त जमीन कि डवलपमेन्ट होने के बाद में करेगे।

(ड) यह है कि भूमि मालिकान व डवलपर कम्पनी के मध्य यह तय हुआ है कि डवलपर कम्पनी को भूमि मालिकान (प्रथम पक्ष न0 2) का 35 प्रतिशत बिल्डअप एरिया 355.74 वर्ग गज (With Maximum Perimissible Area) बनने के बाद भूमि मालिकान (प्रथम पक्ष न0 2) उक्त भूमि का बयनामा डवलपर कम्पनी या उसके नामित किसी अन्य कम्पनी या व्यक्ति के नाम करा लेगे तथा डवलपर कम्पनी भूमि मालिकान के हिस्से अनुसार उसके जोकि 35 प्रतिशत बिल्डअप एरिया (355.74 वर्गगज With Maximum Perimissible Area) को भूमि मालिकान के हक में बयनामा करा देगे।

(च) यह है कि प्रोजेक्ट पुरा होने के बाद भूमि मालिकान का हक 35 प्रतिशत विकसित एरिया जिस पर कि डवलपर कम्पनी नियम अनुसार स्वमं के खर्च पर SCO बनाकर (With Maximum Perimissible Area) देगी व Completion Certificate लायेगी व कोलोब्रेशन

9
11/11/11



राजेश




For S3 INFRA REALITY PVT. LTD.
Auth. Signatory

मे लिखित मु0 1,23,38,346 रू0 लेने कि हक भूमि मालिकान को तय अनुसार लेने का होगा और डवलपर कम्पनी का हक 65 प्रतिशत विकसित एरिये पर होगा।

6. यह है कि भूमि मालिकान उक्त भूमि की बावत लाईसेन्स आदि अप्लाई करने के लिए कोलोब्रेशन एग्रीमेन्ट, मुख्तयारनामा खास, अन्डरटेकिंग, शपथ पत्र, NOC, एल0सी0-1, अनापत्ति प्रमाण पत्र, प्रार्थना पत्र, लाईसैन्स व परमीशन के लिये सभी प्रकार के जरूरी कागजों पर हस्ताक्षर करके उन्हें निष्पादित व पंजीकृत करवायेंगा और उसके अलावा भविष्य में किसी प्रकार के कोई कागजात की आवश्यकता पड़ने पर सभी भूमि मालिकान डवलपर कम्पनी के कहने पर ऐसे कागजातो को निष्पादित व पंजीकृत करवाने के लिए बाध्य रहेगा।

7. यह कि डवलपर कम्पनी का यह दायित्व होगा कि वह प्रस्तावित प्रोजेक्ट की बावत सभी प्रकार के Plan व Drawing Etc. हरियाणा सरकार Town & Country Planning Department, H.RERA व अन्य Competent Authority के Rules व By- Laws के अनुसार बनाये व पास करवाये, इसका सम्पूर्ण दायित्व डवलपर कम्पनी का होगा ऐसे किसी भी Plan के लिए डवलपर कम्पनी पूर्णतया स्वतन्त्र होगी।

8. यह कि डवलपर कम्पनी का यह भी दायित्व होगा कि वह प्रस्तावित प्रोजेक्ट में भवन निर्माण में गुणवता का ध्यान रखे और सरकार द्वारा तय सभी भवन निर्माण व अन्य विकास कार्यों मे तय मानदण्डो का पालन करे। प्रस्तावित प्रोजेक्ट मे भवन निर्माण व अन्य विकास कार्यों में उपयोग होने वाली सामग्री मे किसी भी कमी के लिए भूमि मालिकान की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

9. यह कि प्रास्तावित प्रोजेक्ट में भवन निर्माण व अन्य विकास कार्यों के लिए नियुक्त कर्मचारियों व ठेकेदारो के सम्पूर्ण भुगतानो के लिए डवलपर कम्पनी की जिम्मेदारी होगी और इस कार्य मे नियुक्त सभी मजदूरों, कर्मचारियो व ठेकेदारो से सम्बन्धित सरकार के तय नियम व कानूनो को पूर्णतया पालन करने की जिम्मेदारी डवलपर कम्पनी की होगी इससे भूमि मालिकान का कोई लेना देना नही होगा।

10. भूमि मालिकान द्वारा उक्त भूमि को इस प्रस्तावित प्रोजेक्ट को विकसित करने के लिए डवलपर कम्पनी को दिया है और डवलपर कम्पनी इस प्रस्तावित प्रोजेक्ट में अपने खर्च पर भवन निर्माण करेगी व अन्य विकास कार्य करेगी व सभी प्रकार की मंजूरी व इजाजत का खर्चा करेगी तथा उसके बाद विकसित एरिया को भूमि मालिकान प्रथम पक्ष न0 1 से तय 35 प्रतिशत एरिया जोकि 1503.425 वर्ग गज बनता है का Builtup Area 35% जो कि 526.2 वर्गगज बनता है व प्रथम पक्ष न0 -2 से तय 35 प्रतिशत एरिया जोकि 1016.4 वर्ग गज बनता है का 35% Builtup Area दिया जायेगा जो कि 355.74 वर्ग गज (With Maximum Permissible Area) है को देकर या भूमि मालिकान के नाम हस्तान्तरण कराके बकाया 65 प्रतिशत हिस्सा डवलपर कम्पनी का होगा अर्थात प्रस्तावित प्रोजेक्ट में विकसित बिल्ट अप और अनबिल्ट अप एरिया जो कि डवलपर कम्पनी का 65 प्रतिशत बनता है को बेचने से जो भी विक्रय राशि प्राप्त होगी वह सम्पूर्ण राशि डवलपर कम्पनी के हिस्से में आ जायेगी।

8/12/11

8/12/11

For S3 INFREAREALTY PVT. LTD.
Auth. Signatory

8/12/11

(क) यह कि भूमि मालिकान का बिल्टअप एरिया जो कुल बिल्टअप एरिये का 35 प्रतिशत को छोड़कर बकाया हिस्सा जोकि 65 प्रतिशत बचता है को डवलपर कम्पनी नियमअनुसार विकसित करके बय आदि करके रकम प्राप्त करने का भी अधिकार प्राप्त होगा उसमें भूमि मालिकान को भविष्य में कोई एतराज नहीं होगा।

11. यह तय है कि बाहय विकास शुल्क (External Development Charges) व आधारभूत संरचना विकास शुल्क (Infrastructure Development Charges) वर्तमान व भविष्य में उनमें होने वाली वृद्धि तथा इस पर लगने वाले सम्पूर्ण ब्याज इत्यादि सम्पूर्ण रूप में डवलपर कम्पनी भुगतान और वहन करेगी।

12. यह कि भूमि मालिकान इस कोलोब्रेशन एग्रीमेन्ट की शर्तों के अनुसार जो लिखित है इस बात से सहमत है कि भूमि मालिकान इस कोलोब्रेशन एग्रीमेन्ट के निष्पादन के दिन उक्त भूमि का कब्जा डवलपर कम्पनी को देगा जिसमें उसको या उसके वारसान को किसी प्रकार का कोई एतराज नहीं होगा।

13. यह कि सभी प्रकार के टैक्स कर व अन्य भुगतान जो राजस्व विभाग या अन्य विभाग को देय है इस कोलोब्रेशन एग्रीमेन्ट के निष्पादन के पहले के है वे सभी भूमि मालिकान वहन करेगे तथा जो इस कोलोब्रेशन एग्रीमेन्ट के निष्पादन के बाद के हैं और जब तक इस प्रोजेक्ट का सम्पूर्ण विकास नहीं हो जाता तब तक उनको वहन करने की सारी जिम्मेवारी डवलपर कम्पनी की होगी।

14. यह कि भूमि मालिकान उक्त भूमि में प्रस्तावित प्रोजेक्ट के विकास व तामीर या उस बाबत के किसी दस्तावेज के निष्पादन व पंजीकरण में हर प्रकार से सहयोग करेगे।

15. यह कि भूमि मालिकान सभी दस्तावेज एग्रीमेन्ट विश्वास पत्र आदी जो भी जरूरी हैं डवलपर कम्पनी के हक में हस्ताक्षरित, निष्पादित व रजिस्टर्ड करने के वचनबद्ध रहेगें डवलपर कम्पनी को हमेशा इस बात का हक होगा कि वह किसी भी समय प्रस्तावित प्रोजेक्ट की बाबत किसी भी व्यक्ति को उक्त भूमि में अपने हिस्से का विकसित एरिया के किसी भी भाग का एग्रीमेन्ट करे और इनसे सम्बन्धित सभी कागजातो पर हस्ताक्षर करे इसमें भूमि मालिकान को कोई वास्ता या एतराज नहीं होगा।

16. यह कि डवलपर कम्पनी को यह हक होगा कि वह इस अनुबन्ध के तहत अपने अधिकारो को किसी और व्यक्ति आदि के नाम हस्तान्तरित कर सके इसमें भूमि मालिकान या उसके वारसान को कोई एतराज नहीं होगा।

17. यह कि सभी प्रकार के भुगतान स्टाम्प पेपर खरीदने व उनको पंजीकृत कराने के लिये या अन्य दस्तावेज जो इस कोलोब्रेशन एग्रीमेन्ट की पूर्ति के लिए जरूरी होंगे ऐसे सभी खर्चे डवलपर कम्पनी द्वारा देय होंगे।

18. यह कि दोनो पक्षकार व्यक्तिगत रूप से इस कोलोब्रेशन एग्रीमेन्ट की शर्तों के अनुसार अपने- अपने विकसित एरिया व बिल्टअप एरिया को बेचने से प्राप्त विक्रय राशि में अपने हिस्से की राशि पर आयकर तथा दूसरे कर दायित्वो के लिए उत्तरदायी होंगें।

9
11/12

21/12/12

Signature

For S3 INFRAREALITY PVT. LTD.

Auth. Signatory

19. यह है कि इस कोलोब्रेशन एग्रीमेन्ट को कैंसल करने या वापिस करने की मांग करें या इस कोलोब्रेशन एग्रीमेन्ट की शर्तों से मुकर जाएं। यदि ऐसा होता है तो इन परिस्थितियों में डवलपर कम्पनी को यह पूर्ण हक होगा कि वह इस कोलोब्रेशन एग्रीमेन्ट को सम्बन्धित न्यायालय के द्वारा पूरा करवाये और यह भी तय हुआ है कि यदि कम्पनी उक्त रकबे पर उपयुक्त लाईसेन्स या परमिशन नहीं ला पाती है तो कम्पनी उक्त रकबा भूमि मालिकान को वापस लौटा देगी इस से कम्पनी को कोई एतराज नहीं होगा व भूमि मालिकान को जो राशि इस कोलोब्रेशन एग्रीमेन्ट से प्राप्त हुयी है वह राशी भूमि मालिकान के द्वारा डवलपर कम्पनी को नोन-रिफण्डअबल होगी।

20. यह कि डवलपर कम्पनी को हक होगा कि वह अपने नाम पर तथा अपने भुगतान पर प्रस्तावित प्रोजेक्ट बाबत पम्पैलेट वाउचर पब्लिकेशन न्यूज पेपर या मैगजीन में या अपने साईन बोर्ड द्वारा या अन्य किसी तरीके से विज्ञापन देगी और डवलपर कम्पनी जैसा ठीक समझे वैसा प्रस्तावित प्रोजेक्ट बाबत जहाँ भूमि है वहाँ पर या अन्य किसी दूसरी जगह पर प्रस्तावित खरीददारो को आमन्त्रित कर सकती है।

21. यह कि डवलपर कम्पनी की भांति भूमि मालिकान भी प्रस्तावित प्रोजेक्ट बाबत लाईसेन्स लेने के नियम व शर्तें तथा डी0टी0सी0पी0के सभी नियम व शर्तों को मानने के लिए बाध्य होंगे इससे सम्बन्धित सभी कमियो या सुधार के खर्चे डवलपर कम्पनी के द्वारा देय होंगे इस बारे में भूमि मालिकान उत्तरदायी नहीं होंगे।

22. यह है कि इस कोलोब्रेशन एग्रीमेन्ट की यह शर्तें होगी कि भूमि मालिकान को डवलपर कम्पनी के किसी भी कार्य में दखलअंदाजी करने का हक नहीं होगा।

23. यह है कि डवलपर कम्पनी को यह हक होगा कि वह उक्त भूमि पर प्रस्तावित प्रोजेक्ट की बाबत सभी प्रकार के उचित लाईसेन्स, परमिशन आदि प्राप्त करने के बाद कम्पनी अपने 65 प्रतिशत हिस्से पर किसी भी सरकारी बैंक या गैर सरकारी संस्था से भावी खरीदारो व आवंटियो को उनकी Unit पर ऋण प्राप्त करने के लिए दोनो पक्ष प्रस्तावित प्रोजेक्ट को पास करवायें और इसमें जो भी कागजातो पर भूमि मालिकान के हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी उस पर भूमि मालिकान हस्ताक्षर करेंगे और इस कार्यवाही में डवलपर कम्पनी के साथ पूर्ण सहयोग करेंगे।

24. यह कि दोनो पक्ष इस पर सहमत है कि LOI जारी करने के लिए उक्त कोलोब्रेशन एग्रीमेन्ट में निम्न शर्तें लागू है।

(a) डवलपर कम्पनी पूर्ण रूप से LOI के अर्न्तगत मिलने वाले लाइसेन्स/परमिशन आदि के सभी नियम व शर्तों को और उसके अर्न्तगत वर्णित Rules-1976 में वर्णित सभी नियम व शर्तों का लाइसेन्स के पश्चात् Final Completion Certificate मिलने तक या DGTCP Haryana के आदेश द्वारा सभी दायित्वो से मुक्त होने के बाद दोनो में से किसी भी स्टेज जो पहले आजाए उस तक डवलपर कम्पनी पूर्ण रूप से सभी शर्तों व नियमो का पालन करने के लिए बाध्य होगी।

For S3 INFRA REALITY PVT. LTD.
Auth. Signatory

(b) दोनो पक्ष पूर्ण रूप से सहमत है कि उक्त कोलोब्रेशन एग्रीमेन्ट पूर्ण रूप से अपरिर्वतनिय व अखन्डनीय है तथा उसकी किसी भी शर्त मे बदलाव के लिए Directorate of Town & Country Planning, Haryana, Chandigarh से पहले स्वीकृती लेंगे।

25. यह कि यह कोलोब्रेशन एग्रीमेन्ट भूमि मालिकान व डवलपर कम्पनी के मध्य किसी भी प्रकार से साझेदारी सम्बन्ध को स्थापित नहीं करता और ना ही करेगा डवलपर कम्पनी और भूमि मालिकान कोलोब्रेशन मे लिखित शर्तो के अनुसार हिस्सेदार है।

26. यह तय है कि दोनो पक्ष पूर्ण रूप से इस कोलोब्रेशन एग्रीमेन्ट की सभी शर्तो को अपने अपने प्रयासो व सहयोग से पूरा करेंगे और एक दूसरे को पूरा सहयोग देते हुए इस कोलोब्रेशन एग्रीमेन्ट को पूर्ण करेंगे।


27. यह तय हुआ है कि भूमि मालिकान उक्त भूमि रकबें कि तकसीम जल्द से जल्द करानें में डवलपर कम्पनी की मदद करेंगे।

28. यह कि यदि कोई प्रश्न व विवाद बाबत कोलोब्रेशन एग्रीमेन्ट व उसकी व्याख्या की बाबत उत्पन्न होता है तो दोनो फरीकेन आपसी सहमति से निपटाने के पाबन्द रहेंगे।

29. यह कि भूमि मालिकान को कुछ हो जाता है तो उसके वारिसान उक्त कोलोब्रेशन मे लिखित भूमि मालिकान के हिस्से अनुसार अपने अपने हिस्से के मालिकान व काबिज होंगे तथा कोलोब्रेशन कि शर्तो को पूरा करगे।

30. यह कि यदि कोई प्रश्न व विवाद बाबत कोलोब्रेशन इकरारनामा व उसकी व्याख्या की बाबत उत्पन्न होता है तो दोनो फरीकेन आपसी सहमति से निपटाने के पाबन्द रहेंगे और यदि ऐसा सम्भव ना हो तो उस सूरत में उपरोक्त विवाद को किसी निष्पक्ष मध्यस्थ की मार्फत निपटाया जावेगा जो कि डवलपर कम्पनी व भूमि मालिकान कि सहमती से नियुक्त किया जावेगा और यह भी तय है इसकी कार्यवाही Arbitration and Reconciliation Act. 1996 और उसमें हुए बदलावो के तहत होगी जिसका कार्यालय फरीदाबाद में होगा यदि जरूरत हुई तो कोर्ट के माध्यम से और जिसके लिए फरीदाबाद व चण्डीगढ की कोर्टस को क्षेत्राधिकार होना करार पाया हैं।

31. यह है कि यदि उक्त भूमि के लाईसेन्स से सम्बधित सरकार द्वारा बिल्टअप के अर्न्तगत कोई भी बदलाव होता है तो उसी प्रतिशत में भूमि मालिक व डवलपर कम्पनी का बिल्टअप एरिया कम व ज्यादा हो जावेगा।



For S3 INFRAREALITY PVT. LTD.
Auth. Signatory

32. यह कि इस कोलोब्रेशन एग्रीमेन्ट के निष्पादन व रजिस्ट्रेशन में होने वाला सभी खर्चा व स्टाम्प पेपर आदि डवलपर कम्पनी ने वहन किया है।

तिथि :- 11.01.2022

स्थान : फरीदाबाद

(भूमि मालिकान)

राजबीर व दिनेश व महेश

राजबीर

दिनेश



गवाह

1.

Kr. Vinay Rawat
Advocate
Distt. & Session Court, Faridabar

2.

ANKUR AGGARWAL
S/o SK Aggarwal
F/o FBA



For S3 INFREAREALITY PVT. LTD.
(डवलपर कम्पनी) Auth. Signatory

M/s S3 Infreareality Pvt. Ltd.

(बजरिये अधिकृत हस्ताक्षरी श्री तरुण शर्मा)



Reg. No.

Reg. Year

Book No.

8552

2021-2022

1



पेशकर्ता



दावेदार



गवाह

4
मई 21



पेशकर्ता :- Rajbir etc

For S3 INFRA REALITY PVT. LTD.

दावेदार :- ms S3 Infrateality pvt ltd thu Tarun sharma

Auth. Signatory

गवाह 1 :- vinay rawat

गवाह 2 :- Ankur Aggarwal

प्रमाण पत्र

उप/सयुक्त पंजीयन अधिकारी



प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख क्रमांक 8552 आज दिनांक 11-01-2022 को बही नं 1 जिल्द नं 10 के पृष्ठ नं 137.75 पर किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही संख्या 1 जिल्द नं 251 के पृष्ठ संख्या 61 से 63 पर चिपकाई गयी। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और गवाहों ने अपने हस्ताक्षर/निशान अंगूठा मेरे सामने किये हैं।

दिनांक 11-01-2022

उप/सयुक्त पंजीयन अधिकारी(फरीदाबाद)